मुख्य मंत्री

श्री मुलायम सिंह यादव

का

2005-2006 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2005-2006 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर,

वित्तीय कारोबारी संस्कृति का दशक पूर्व लोप हो चुका था । हमारी सरकार ने कारोबार की गाड़ी को पटरी पर लाने का सफल प्रयोग किया । हम दूसरी बार अपनी सरकार का बजट वित्तीय वर्ष की समय अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत कर रहे हैं । संचित निधि के ऊपर इस आदरणीय सदन का स्वामित्व होता है । सरकार तो सदन की दास है । निधि के स्वामी की अनुमति से प्रदेश खजाने को खर्च करने का हमारा व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के मान्य सिद्धांतों को मजबूत बनाने वाला है । समय से बजट की अनुदान राशि को पास कराना और निर्धारित सीमा के भीतर उस राशि को व्यय करने की मान्य परिपाटी

का पालन कर हमारी सरकार ने इस प्रदेश में नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है । अनुशासित और मर्यादित वित्तीय संस्कृति का राज्य स्तर पर लोप हो रहा था, जिसे हमने अपने राज्य में पुनर्जीवित कर सभी राज्यों के सामने एक स्वच्छ, पारदर्शी वित्तीय प्रबंध का ऊँचा मानदण्ड उपस्थित किया है । आर्थिक तौर पर बदहाली के दौर से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के आर्थिक जगत को हमारी सरकार ने नया जीवनदान दिया है । उत्तर प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित कर, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में तब्दील कर, देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को खड़ा करने का हमारा दृढ़ संकल्प है । इसी मनोभाव के साथ मैं आपकी अनुमति से इस बजट को प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

वर्ष 2004-2005 के अपने बजट भाषण में हमारी सरकार की विकास की रणनीति की चर्चा करते हुये मैंने कहा था कि सरकार द्वारा एक तरफ सार्वजनिक पूँजी का उपयोग सर्वाधिक आवश्यकता वाले सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवस्थापना जैसे बिजली, सड़क एवं पानी की सुविधाओं के सृजन पर किया जायेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ज्यादा से

ज्यादा निजी पूँजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया जायेगा । मैंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज के सबसे कमज़ोर एवं ज़रूरतमंद वर्ग के लोगों के हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती रहे ।

इस रणनीति के तहत हमारी सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, तथा रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की गयी । इनसे संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उन्नयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे इन क्षेत्रों में विकास को एक सकारात्मक और निश्चित दिशा मिल सकी है ।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा कई नीतिगत निर्णय लिए गये हैं । इनमें *उत्तर प्रदेश विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन, नई ऊर्जा नीति, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, नई आवास नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, चीनी उद्योग नीति, सूचना प्रोद्योगिकी नीति* आदि प्रमुख हैं, जिनके अन्तर्गत निजी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से व्यवस्थायें की गयी हैं ।

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू करने के पूर्व मैं कुछ ऐसे नीतिगत निर्णयों का उल्लेख करना चाहूँगा जो पहली बार लिये गये हैं ।

- राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर तथा करेतर राजस्व के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये, जिनके फलस्वरूप वर्ष 2005-2006 में लगभग 1250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का अर्जन अनुमानित है ।

- वर्ष 2005-2006 के बजट के साथ *जेन्डर बजटिंग* के सिद्धान्त का सूत्रपात किया जा रहा है । हमारा यह दृढ़ मत है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के बिना समाज का वास्तविक एवं सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं है । जेन्डर बजटिंग का मूल उद्देश्य सरकार के बजट को महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनाया जाना है । इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले *लाभार्थी आधारित योजनाओं* के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की बजट व्यवस्था का

कम से कम एक तिहाई भाग महिला लाभार्थियों के लिये मात्राकृत किया जाय ।

- वर्ष 2005-2006 को *पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का वर्ष* घोषित किया गया है । सिंचाई, सड़कें एवं सेतु, स्कूल एवं कालेज भवनों तथा अस्पतालों के अधूरे कार्यों को यथा संभव पूरा करने के लिये विशेष रूप से बजट व्यवस्था कराई गयी है ।

- सरकार की वर्तमान परिसंपत्तियों के रखरखाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये अवस्थापना क्षेत्र तथा शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र की परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु विशेष रूप से बजट व्यवस्था कराई गयी है ।

आर्थिक परिदृश्य

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है । योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में व्यापक सूखे के कारण त्वरित अनुमानों के आधार पर विकास दर 0.1 प्रतिशत रही, जबकि देश की अनुमानित विकास दर 4.0 प्रतिशत रही । वर्ष 2003-2004 में

प्रदेश की अनुमानित विकास दर 5.9 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय औसत 9.0 प्रतिशत रहा । वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9870 रुपये से बढ़कर 2003-2004 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 10817 रुपये हो गयी जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । इसी अवधि में राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय रुपये 19040 से बढ़कर रुपये 20989 हो गयी जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । इससे स्पष्ट है कि राज्य में आर्थिक विकास की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है तथा इस अन्तर को कम करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने होगें ।

वार्षिक योजना (2005-2006)

मुझे यह बताते हुये अपार हर्ष है कि प्रदेश सरकार द्वारा संसाधनों में बढ़ोत्तरी तथा राजकोषीय एवं विद्युत सुधार हेतु किये गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की वार्षिक योजना 2005-2006 के लिये 13500 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है, जो वर्ष 2004-2005 के परिव्यय से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है और अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है । उल्लेखनीय है कि कुल

परिव्यय का 71.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए है ।

राजकोषीय सुधार

मान्यवर, मैंने वर्ष 2004-2005 के बजट भाषण में कहा था कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध विधेयक विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । जैसा माननीय सदस्यगण अवगत हैं, माह फरवरी, 2004 में *उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004,* पारित किया गया । इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति तैयार की गयी है, जो बजट साहित्य के साथ विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

प्राथमिकताएं, उपलब्धियाँ एवं नये कार्यक्रम

मान्यवर, आप अवगत हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के उत्थान एवं विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जिक्र मैं करना चाहूँगा ।

कृषि

- गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पेराई सत्र 2004-2005 में गन्ने के समर्थन मूल्य में 12 रुपये प्रति कुन्तल की बढ़ोत्तरी की गयी है । इससे गन्ना किसानों को लगभग 556 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है ।

- अप्रैल, 2004 से 18 फरवरी, 2005 तक कुल 4956 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है, जिसमें वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में ही अब तक 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया गया है । वर्तमान पेराई सत्र में दिनांक 07 फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में स्थित कुल 104 मिलों के माध्यम से गत पेराई सत्र में इसी अवधि की तुलना में 58 लाख टन अतिरिक्त गन्ने की पेराई की गयी है, जो बन्द चीनी मिलों को चालू करने तथा चालू मिलों के क्षमता विस्तार से सम्भव हुई है ।

- चीनी उद्योग को सुदृढ़ बनाने के उद्‌देश्य से प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा

देने के लिये नयी *चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004* घोषित की गयी है जिसके अन्तर्गत निजी कंपनियों द्वारा प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना, वर्तमान चीनी मिलों का क्षमता विस्तार तथा चीनी उद्योगों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुसार किये जाने पर कतिपय सुविधायें एवं छूट प्रदान की जायेगी ।

- गन्ना पेराई सत्र 2005-2006 तक निजी क्षेत्र में 6 और नई चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है, जिससे 44 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गन्ने की पेराई सम्भव होगी तथा लगभग 5,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ लगभग 25,000 अतिरिक्त गन्ना किसान लाभान्वित होगें ।

- रबी विपणन वर्ष 2004-2005 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित समर्थन मूल्य 630 रुपये प्रति कुन्तल की दर से कुल लगभग 17.40 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी । मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गेहूँ की

खरीद से सम्बन्धित मूल्य का शत-प्रतिशत् भुगतान किसानों को किया जा चुका है ।

- हालांकि हमारा प्रदेश खाद्यान्न, दलहन, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी है फिर भी कृषि उपज के प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण उनका मूल्य सम्वर्धन का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है । इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा *खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति* घोषित की गयी है । नई नीति के लागू होने से नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से किसानों को कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा प्रदेश में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित होगा । इस नीति के सार्थक परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं । आलू प्रसंस्करण हेतु जनपद- गाजियाबाद में 15,000 मीट्रिक टन एवं जनपद-आगरा में 8,000 मीट्रिक टन क्षमता की इकाईयाँ निजी क्षेत्र में स्थापित हो रही हैं । इसके अतिरिक्त 8 दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयाँ पिछले कुछ ही माहों में स्थापित हुई हैं ।

- पिछले वर्ष हमारी सरकार ने *किसान बीमा योजना* लागू की जिसके अन्तर्गत मृत्यु तथा विकलांगता की परिस्थिति मे सभी 2.5 करोड़ खातेदार किसानों का एक लाख रुपये का बीमा आच्छादन किया गया । वर्ष 2005-2006 में इस योजना को चालू रखा जायेगा ।

- कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से अब तक 48 मण्डियों पर कम्प्यूटरीकृत विपणन सूचनातंत्र की व्यवस्था की गयी है । वर्ष 2005-2006 में प्रदेश के 102 कृषि बाजारों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

- प्रदेश के 20 जनपदों में *फल-सब्जी मण्डी* के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। नोयडा में *पुष्प नीलामी केन्द्र-सह-थोक मण्डी* एवं आधुनिक फल-सब्जी मण्डी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो बंगलौर के बाद देश में अपने प्रकार की दूसरी परियोजना होगी ।

- वर्ष 1990 में *भूमि सेना* का गठन किया गया था जिसे अब नये स्वरूप में 27

जनपदों में पुनः कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के मजदूरों को संगठित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ऊसर भूमि का उपचार करके उसे भूमिहीन कृषकों / मजदूरों को आवंटित करना, भूमि सुधार संबंधी सभी कार्यों को स्थानीय मजदूरों के माध्यम से क्रियान्वित करना तथा ऊसर भूमि के उपचार के उपरांत फसलों की उत्पादकता बढ़ाया जाना है । बीहड़ भूमि का समतलीकरण करना, नहरों और नदियों को गहरा कर उनकी सफाई करना आदि कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत किये जायेंगे । इस योजना के प्रथम चरण में 20,000 हेक्टेअर ऊसर भूमि का आगामी दो वर्षों में सुधार किया जायेगा । इस योजना से जहां एक ओर रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी । वर्ष 2005-2006 में इस योजना हेतु 40.15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पशुधन एवं दुग्ध विकास

- प्रदेश में पशु-महामारी नियंत्रण, उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का विकास एवं प्रसार, चारा उत्पादन में वृद्धि तथा पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।
- दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है ।
- एकीकृत दुग्धशाला परियोजना, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण की योजना, केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, महिला डेरी परियोजना, सघन मिनी परियोजना आदि रोजगारपरक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में *पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय* की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मत्स्य विकास

- *मछुवा दुर्घटना बीमा योजना* के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 तक 41,000 मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों का आच्छादन हो चुका है । वर्ष 2005-2006 तक कुल 42,000 सदस्यों का आच्छादन प्रस्तावित है ।

- मछुवा आवासों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में 2130 मछुवा आवासों के निर्माण हेतु रूपये 25,000 प्रति लाभार्थी की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

ग्राम्य विकास

- मान्यवर, हमारे प्रदेश की आय का एक तिहाई भाग कृषि से आता है तथा लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के माध्यम से उत्पादकता में सम्वर्धन तथा ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि प्रदेश के संतुलित विकास के लिये आवश्यक है । इन

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये *ग्रामीण विकास एवं एग्री बिजनेस केन्द्रों की स्थापना* की एक नयी योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में क्रियान्वित की जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों तथा अन्य धन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधा का विकास किया जायेगा ताकि ये क्षेत्र ग्रामीण विकास की धुरी के रूप में विकसित हों तथा ग्रामीण जनसंख्या का बड़े शहरों को पलायन कम हो सके । इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्तमान वर्ष में *आदर्श जनपद योजना* के अन्तर्गत 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- *त्वरित आर्थिक विकास योजना* के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2005-2006 में 260 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्तमान वर्ष में 21 जनपदों के लिये *राष्ट्रीय सम विकास योजना* हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 315 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज प्रस्तावित है, जो बुन्देलखण्ड विकास निधि के अतिरिक्त है ।

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये लगभग 72 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

- ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों की स्थापना के साथ ही पाईप लाईन द्वारा पानी की आपूर्ति की समूह पेयजल योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी । गुणता प्रभावित जनपदों में नमूनों का परीक्षण कर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गयी है । ग्रामीण पेयजल के लिए वर्ष

2005-2006 में कुल लगभग 290 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पंचायती राज

- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2004-2005 के 6 लाख के भौतिक लक्ष्य को दुगना करते हुए वर्ष 2005-2006 में 12 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है । शौचालयों के निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । हमारी सरकार का यह मानना है कि महिलाओं की सुविधा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये ग्रामीण शौचालयों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है ।
- वर्ष 2005-2006 में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रुपये 27 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अवस्थापना

सड़क, पानी और बिजली की हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष

2005-2006 में बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गयी है ।

सड़क एवं यातायात

- वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2005-2006 में सड़क एवं सेतु परियोजनाओं हेतु लगभग 900 करोड़ रुपये की अधिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2457 मार्ग निर्माण कार्य तथा 121 सेतुओं एवं उनके पहुँच मार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

- वर्ष 2005-2006 में *ग्रामीण सम्पर्क मार्गों* के लिये लगभग रुपये 375 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जिससे 2158 किलोमीटर मार्गों का निर्माण तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1439 गाँवों / मजरों को लेपित मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती, पर्याप्त,

दक्ष एवं समन्वित सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 1150 नई बसों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

- मुरादाबाद, वाराणसी, हरदोई, बिजनौर तथा मैनपुरी में बस स्टेशनों के उच्चीकरण एवं सैफई में नये बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसे वर्ष 2005-2006 में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है ।

सिंचाई

- वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2005-2006 में सिंचाई परियोजनाओं हेतु लगभग 814 करोड़ रुपये की अधिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्ष 2005-2006 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1992 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई के लिये 187 करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी हेतु 360 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें नहरों की लाइनिंग हेतु 100 करोड़ रुपये, सतही जल निकास

व्यवस्था में सुधार के लिए 150 करोड़ रुपये एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिये 50 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं ।

- उपरोक्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों से अधूरी पड़ी वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1182 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है ।

- नहरों की सफाई कराकर उनकी टेल तक पानी पहुँचाने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है । वर्ष 2004-2005 में 28,772 किलोमीटर लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा रहा है । वर्ष 2005-2006 में भी नहरों की सफाई कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायेगी ।

- सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रसिन, सिजार, कुरार, लखीरी बाँध के निर्माण तथा औगासी पम्प नहर के आधुनिकीकरण की परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । इससे 6,470 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा ।

- वर्ष 2005-2006 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2 लाख निःशुल्क बोरिंग कराई जा सकेंगी ।

ऊर्जा

- ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने तथा ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं जिनमें नयी *ऊर्जा नीति, 2004* उल्लेखनीय है ।

- प्रदेश के अवशेष अविद्युतीकृत गाँवों को केन्द्र सरकार की नई *त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना* के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों की अवधि में विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- माह सितम्बर, 2003 से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 8 घण्टे से बढ़ाकर 14 घण्टे कर दी गयी है, जिससे कृषि क्षेत्र

एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी । मुझे माननीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यह सुविधा वर्ष 2005-2006 में भी प्राप्त होती रहेगी ।

- पिछले कई वर्षों से लम्बित 1000 मेगावाट क्षमता की अनपरा "सी" परियोजना की स्थापना निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया है । पारीछा में 2 x 210 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसकी लागत लगभग 1755 करोड़ रुपये है । इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2006-07 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

- जल विद्युत परियोजनाओं में रिहन्द परियोजना जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है, के जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है तथा लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य वर्ष 2009-2010 तक पूर्ण हो जाना संभावित है ।

- रिलायंस एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगाये जा रहे 3740 मेगावाट पावर प्लान्ट की

स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । उक्त प्लान्ट एवं अन्य संबंधित उपयोगों के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा आवश्यक नहरी जल के लिए प्रदेश के सिंचाई विभाग एवं रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के मध्य अनुबंध, प्रदेश के पर्यावरण विभाग से अनापत्ति, भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से स्वीकृति की कार्यवाहियां प्रगति पर हैं । इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे यथा संभव आगामी 2 वर्षों में विद्युत उत्पादन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन हो सके ।

अतिरिक्त ऊर्जा

- प्रदेश के ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ पारम्परिक स्रोतों से गाँवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है, सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान

में 250 गाँवों तथा द्वितीय चरण में 300 गाँवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है ।

नगर विकास

- अरबन रिफॉर्म इन्सेन्टिव फण्ड (यूरिफ) योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में चिन्हित सुधार कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लगभग 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- *त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम* के अन्तर्गत 20,000 से कम जनसंख्या वाले 425 नगरों की पेयजल व्यवस्था के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2003-2004 तक 159 नगरों में मानकों के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 2004-2005 में 40 तथा वर्ष 2005-2006 में पुनः 40 नगरों को मानक के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

- प्रदेश के चयनित महानगरों में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण व्यवस्था के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । इलाहाबाद में द्वितीय जलकल के

निर्माण हेतु 30.88 करोड़ रुपये, लखनऊ में जल सम्पूर्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये 30.93 करोड़ रुपये तथा कानपुर एवं वाराणसी नगरों में जलोत्सारण / सीवरेज व्यवस्था हेतु क्रमशः 23.40 करोड़ रुपये एवं 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कानपुर नगर की पेयजल समस्या के निदान के लिए गंगा बैराज का निर्माण कराया जा रहा है । इस परियोजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवास एवं शहरी नियोजन

- *सबके लिये आवास* का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयोजन से प्रदेश सरकार द्वारा आवास निर्माण के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है ।

- प्रदेश में छोटे एवं मध्यम नगरों के लिये *संगठित विकास योजना* के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2005-2006 हेतु जिला मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयों के 45 नगरों के लिये 50 करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तावित हैं ।

शिक्षा

- माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2005-2006 में वर्तमान वर्ष की तुलना में शिक्षा पर होने वाले व्यय हेतु बजट व्यवस्था में 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है जो स्वयं में एक कीर्तिमान है । इसमें से लगभग 1180 करोड़ रुपये की वृद्धि प्राथमिक शिक्षा में की गयी है ।

- वर्ष 2005-2006 में लगभग 4,700 नये स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें 2,500 प्राथमिक तथा 2,200 उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे । इससे प्रदेश की ग्रामीण आबादी स्कूल की सुविधा से सेवित हो जायेगी ।

- 2,500 जर्जर प्राथमिक तथा 400 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के

पुनर्निर्माण तथा 75,000 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण भी प्रस्तावित है ।

- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये वर्ष 2004-2005 में हमारी सरकार ने 40,000 विशिष्ट बी.टी.सी. अभ्यर्थियों का चयन पूर्ण किया गया व 41,000 शिक्षामित्रों की तैनाती की है । यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है । इस व्यवस्था से अध्यापक छात्र अनुपात अब 1:52 हो गया है जो वर्ष 2003-2004 के प्रारम्भ में 1:72 था ।

- परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को *पका-पकाया भोजन* दिये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना हेतु वर्ष 2005-2006 में 340 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र / छात्राओं तथा बालिकाओं को मुफ्त पुस्तक सुविधा अनुमन्य है । हमारी सरकार द्वारा अभी हाल में ही प्राथमिक कक्षाओं के सामान्य वर्ग के बालकों को भी मुफ्त

पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है । यह योजना वर्ष 2005-2006 से लागू कर दी जायेगी ।

- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-2005 से *कन्या विद्याधन योजना* प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2004 में कक्षा-12 उत्तीर्ण गरीब परिवारों की पात्र बालिकाओं को 20,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा रही है । वर्ष 2004-2005 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2005-2006 में 1.50 लाख बालिकाओं को इस योजना से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।

- सभी वर्गों के अर्ह छात्रों हेतु वर्ष 2005-2006 में *छात्रवृत्ति* के लिये लगभग 1466 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर *चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज, हेवरा, इटावा* को शिक्षा प्रोत्साहन

योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है । इस हेतु महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास, शिक्षकों के आवास, अतिथिगृह आदि का निर्माण किया जा रहा है ताकि यह महाविद्यालय शिक्षा के एक अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित हो सके ।

- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर में *जैव प्रौद्योगिकी संस्थान* तथा छात्रावास के निर्माण हेतु रुपये एक करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- *डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय विधि संस्थान, लखनऊ* की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था करायी गयी है ।

- राजकीय महाविद्यालयों में पठन-पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 141 प्रवक्ताओं के तथा अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से

प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा के 266 पद सृजित किये गये हैं ।

युवा कल्याण एवं खेलकूद

- युवाओं के शारीरिक सम्वर्धन, स्वास्थ्यवर्धन, मानसिक विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण हेतु प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कई योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।
- सैफई, इटावा में विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु 4.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये वर्ष 2005-2006 में वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 600 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में *शताब्दी अस्पताल* की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह कार्य 2 वर्ष में किये जाने का लक्ष्य है तथा

वर्ष 2005-2006 में इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।

- *दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय* हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वितीय चरण में 6 चयनित अति विशिष्टताओं की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।
- संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के सैटेलाइट संस्थानों तथा मिनी पी.जी. आई. की स्थापना प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किये जाने के उद्देश्य से संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम को संशोधित किया गया है । इस दिशा में *संयुक्त चिकित्सालय, सैफई, इटावा* तथा *डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ* को पी.जी.आई. के सैटेलाइट संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्रमशः 150 करोड़ रुपये तथा 131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव को दूर करने के लिए 1281 चिन्हित पदों पर संविदा पर नियुक्तियाँ की गई हैं ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन 3640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 372 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण वर्ष 2005-2006 में पूर्ण कर उन्हें आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करने का लक्ष्य है ।

- परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के प्रसार के लिये 700 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु 22.90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

रोजगार

मान्यवर, जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है । प्रदेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता से रोजगार के नये अवसर सृजित किये जाने के प्रयास के साथ-साथ सरकार द्वारा कई रोजगार परक

तथा स्वरोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा ।

- प्रदेश के 15 पिछड़े जनपदों में *राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना* प्रारम्भ की गयी है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले कार्यों के लिये 3 वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जा रही है । वर्ष 2005-2006 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 551 करोड़ रुपये से अधिक की नकद धनराशि एवं 5.40 लाख टन से अधिक खाद्यान्न श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के क्रियान्वयन से *10.82 करोड़ मानव दिवसों का सृजन हो सकेगा ।*

- *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना* के अन्तर्गत कुल 2.75 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा ।

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों, परंपरागत कारीगरों व दस्तकारों, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों व श्रमिकों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से *मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना* प्रारम्भ की जा रही है । वर्ष 2005-2006 में इस योजना के अन्तर्गत 5000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे ।

- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम *मार्जिन मनी योजना* के अन्तर्गत 3000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिससे 25,000 रोजगार सृजित होंगे ।

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, के अन्तर्गत 17 करोड़ मानव दिवस का सृजन का अनुमान है । इस हेतु वर्ष 2005-2006 में लगभग 440 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- दुग्ध विकास की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लगभग 39,000 रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

- वर्ष 2004-2005 में 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य

के सापेक्ष माह नवम्बर, 2004 तक लगभग 165 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश तथा 77,359 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है । वर्ष 2005-2006 में 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

- *प्रधानमंत्री रोजगार योजना* के अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षित युवक / युवतियों को संस्थागत वित्त सहायता प्राप्त कराते हुए स्वरोजगार हेतु 52,000 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर, 2004 तक लगभग 49,600 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्ष 2005-2006 हेतु भी 52,000 का लक्ष्य रखा गया है ।

- खनिजों के दोहन एवं विकास कार्यों से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं । खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं खनन व्यवसाय से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिये *खनिज विकास निधि* के लिये वर्ष 2005-2006 में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सामाजिक सुरक्षा

विकलांग कल्याण

- दिनांक 1 अप्रैल 2005 से *विकलांग पेंशन* की दर 125 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक अभिनव प्रयोग के रूप में जनपद लखनऊ में 3 से 6 वर्ष के विकलांग बच्चों के लिये नर्सरी का संचालन प्रारम्भ किया गया है ।

अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भी चालू रखी जायेगी ।

- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए लखनऊ

में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है ।

- आलिया स्तर के 140 मदरसों में निःशुल्क कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसपर 1.54 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है ।

- *<u>मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में छात्रवृत्ति योजना</u>* प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 200 चयनित ऐसे छात्रों, जो एम.बी.बी. एस, एम.बी.ए, एम.सी.ए., बी.बी.ए, आई.आई.टी, आई.आई.एम आदि की परीक्षाओं में ऊँची मेरिट प्राप्त करेंगे, को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ।

- *<u>मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल, रामपुर,</u>* जहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कैद रखा गया था, को एक धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है । इस हेतु 1.11 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है ।

- *ओरिएन्टल कॉलेज, रामपुर,* जो एक समय अरबी शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान था, के जीर्णोद्धार हेतु 1.99 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

- मदरसों / मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें अध्ययनरत बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं हिन्दी आदि विषयों से परिचित कराने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है ।

- मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में रामपुर में उद्यान का विकास प्रस्तावित है, जिसपर लगभग 2.45 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है ।

महिलायें

- *जेन्डर बजटिंग* की प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार प्रारम्भ की जा रही है जिसका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ ।

- निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी

है । वर्तमान में इस योजना से 5.16 लाख महिलाओं को आच्छादित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2005-2006 में इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये 6.16 लाख लाभार्थियों हेतु लगभग 119 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये *परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना* प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- *स्वाधार योजना* के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन हेतु वृन्दावन में दो आश्रय सदनों का निर्माण प्रस्तावित है ।

सैनिक कल्याण

- उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को देय पेंशन की दर 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किये जाने

के फलस्वरुप 17.64 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मान्यवर, विभिन्न व्यावसायिक समूहों के कल्याण हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष योजनायें चलाई जा रही हैं जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

रिक्शाचालक

- प्रदेश के 5 लाख रिक्शाचालकों के लिये एक नई बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है । इसके अन्तर्गत सभी रिक्शाचालकों को दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के विरूद्ध 1.00 लाख रुपये की अधिकतम बीमा राशि हेतु बीमित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त ऐसे रिक्शाचालकों जो स्वयं रिक्शा मालिक हैं, के रिक्शा का बीमा रुपये 4000 की राशि के लिये किया जायेगा । इस योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

बुनकर

- वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसे वर्ष के अन्त

तक प्राप्त कर लिये जाने का अनुमान है। वर्ष 2005-2006 में पुनः 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- वर्तमान की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाली बाजार परिस्थितियों में हैण्डलूम / पावरलूम से अपनी आजीविका प्राप्त करने वाले बुनकरों के उद्योग को बनाये रखने तथा उनके उत्थान के लिये बुनकरों द्वारा तैयार माल के क्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनुकूल वातावरण सृजित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

व्यापारी

- माननीय सदन को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष है कि व्यापारियों के हित संरक्षण के लिये हमारे द्वारा की गई सभी पूर्व घोषणाओं को पूरा किया गया है।
- प्रदेश में विस्तार / आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त पूंजी विनिवेश के बराबर छूट अनुमन्य की जा रही थी। इन इकाईयों को भी नई इकाईयों की भाँति अतिरिक्त पूंजी विनिवेश के 150 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक

5 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

- वर्ष 2005-2006 में मण्डलीय मुख्यालयों पर 16 नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । इस हेतु 65.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
- अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं में आवास की समस्या के निराकरण के लिये विभिन्न जनपदों में नये छात्रावास निर्मित कराये जा रहे हैं ।
- अनुसूचित जनजाति के तीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा-12 तक उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है । इस हेतु बजट में 1.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

शान्ति व्यवस्था

- प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिये शान्ति व्यवस्था का सुदृढ़ होना तथा अपराधों

पर प्रभावी नियंत्रण होना अनिवार्य है । इस हेतु पुलिस प्रशासन का व्यापक आधुनिकीकरण किये जाने के साथ साथ पुलिस कर्मियों की कठिन ड्यूटी अवधि व कार्य के दवाब को देखते हुये उन्हें बेहतर आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । पुलिस आधुनिकीकरण योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के साथ-साथ किसी भी आकस्मिक परिस्थिति का सामना प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु पुलिस के नियंत्रण कक्षों को सशक्त बनाया गया है, 11,000 से अधिक कान्सटेबिलों की नयी भर्ती की जा रही है और पुलिस कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवं उन्हें समय से प्रोन्नति देने हेतु उप-निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गयी है ।

- नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण, अस्त्र-शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

न्याय

- *राज्य विधि आयोग* का गठन एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त / कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होंगे ।

- विभिन्न जनपदों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये वर्ष 2005-2006 के बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पर्यटन

- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के अनेक पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, सड़क, आवास तथा विद्युत आदि उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

- देश की अमूल्य धरोहर ताजमहल के 350 वर्ष पूर्ण करने पर प्रदेश में ताज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया ।

पर्यावरण एवं वन

- प्रदेश में पर्यावरण सुधार एवं पर्यावरण के प्रति जनचेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

- प्रदेश में वृक्ष आवरण बढ़ाने तथा वन सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण, वृक्षारोपण, वानिकी शोध एवं वनों पर निर्भर मानव समुदायों एवं वन कर्मियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

- जनपद इटावा का ऐतिहासिक फिशर फारेस्ट बब्बर शेरों के प्राकृतिक आवास के अनुकूल है । अतः इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रदेश के प्रथम *लायन सफारी* पार्क की स्थापना प्रस्तावित है ।

- लखनऊ प्राणि उद्यान एवं कानपुर प्राणि उद्यान के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध विकास के वाणिज्यीकरण के साथ-साथ औद्योगिक पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से *बायोटेक्नोलाजी बोर्ड* की स्थापना की गयी है ।

- जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित औद्योगिक / वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना पर कतिपय रियायतें देते हुये इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से *जैव प्रौद्योगिकी नीति* घोषित की गयी है ।

राजकोषीय सेवायें

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005-2006 में लगभग 1,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । वर्ष 2005-2006 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत 18290.58 करोड़ रुपये के अनुमान लिये गये हैं ।

- राज्य के कर राजस्व के स्रोतों में व्यापार कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा वाहन एवं यात्री कर प्रमुख हैं ।

- करापवंचन रोकने के लिये एक व्यापक रणनीति बनाकर समन्वित प्रयास किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार कर की वसूली में सराहनीय वृद्धि हुई है ।

- लेख-पत्रों के निबन्धन, अभिलेखों के सुरक्षित संग्रहण्ं, जाली / फर्जी स्टाम्पों के चलन रोकने तथा परिसम्पत्तियों के यथार्थ मूल्यांकन जैसे क्रिया-कलापों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि इन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता एवं कुशलता सुनिश्चित की जा सके ।

- आबकारी राजस्व एवं सम्भावित जन हानि पर रोक लगाये जाने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में 29 चेक पोस्टों तथा 17 प्रवर्तन इकाईयों के माध्यम से प्रवर्तन कार्य को प्रभावी बनाया गया है ।

- करेतर राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 हेतु 2247.19 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं ।

2005-2006 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2005-2006 में 67494.10 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

- कुल प्राप्तियों में 42667.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 24826.49 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2005-2006 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेतर राजस्व का अंश 37584.00 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 17046.23 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2005-2006 में कुल व्यय 69295.19 करोड़ रुपये अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 48071.08 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 21224.11 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2005-2006 के बजट में 14864.36 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2005-2006 में घाटा 1801.09 करोड़ रुपये है ।

लोक-लेखा से समायेाजन

वर्ष 2005-2006 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2339.30 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2005-2006 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 538.21 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2005-2006 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 1212.38 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 674.17 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

यहां मैं बजट के वित्तीय पहलुओं की कुछ मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कर रहा हूँ -

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत तथा जो वर्ष 2005-2006 में 2.1 प्रतिशत अनुमानित है ।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-2006 में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है ।

वेतन, पेंशन तथा ब्याज का सम्मिलित व्यय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में कुल राजस्व प्राप्ति का 80.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों के अनुसार 72.1 प्रतिशत है ।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के आधार पर कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर व्यय 69.9 प्रतिशत है जो 2005-2006 के बजट अनुमानों के अनुसार 64.4 प्रतिशत है ।

2004-2005 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में 14.8 प्रतिशत है जो वर्ष 2005-2006 में 12.7 प्रतिशत अनुमानित है ।

जिन क्षेत्रों में अभी हमें अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है उनमें राज्य की ऋणग्रस्तता में कमी लाना प्रमुख है । सकल

राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की ऋणग्रस्तता वर्ष 2003-2004 में 48.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 2004-2005 में बढ़कर 49.9 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष 2005-2006 में इसके 51.4 प्रतिशत होने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा ऋण पर निर्भरता कम कर स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए मंत्रि परिषद की संसाधन समिति तथा संसाधन एवं व्यय आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को

भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सरकार अगले वित्तीय वर्ष को विकास पर्व के रूप में मनाना चाहती है, जिससे समृद्धि की किरणें प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें । अगले वित्तीय वर्ष का बजट हमारे इसी संकल्प को प्रतिबिम्बित करता है ।

हमारी सरकार महात्मा गांधी, डॉ० लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं के सेवा, सादगी, समता और ईमानदारी के शाश्वत सिद्धान्तों को अपना आदर्श मानकर काम कर रही है । हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रीय महानायकों ने एक ऐसे आजाद भारत की परिकल्पना की थी, जहां सबको विकास के समान तथा पूरे अवसर मिलें, संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो, सबको समान व

सुलभ शिक्षा मिले, हर एक को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और जहां कोई बेरोजगार न हो । इस कल्पना को मूर्त रूप देने और हर स्तर पर गैरबराबरी को दूर करने की ईमानदार तथा विनम्र कोशिश आपको निश्चय ही हमारे बजट में दिखाई देगी ।

मुझे माननीय सदन को यह बताते हुये हार्दिक प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी वर्गों और समुदायों ने हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है । राजकोष का सदुपयोग हमने जन कल्याण पर खर्च करने और सभी वर्गों तथा समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये किया है ।

इसके साथ ही मैं सभी माननीय विद्वान सदस्यों से यह अपील करूँगा, कि वे चाहे किसी भी दल या राजनैतिक विचारधारा से सम्बन्ध रखते हों, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के हमारे प्रयासों में सहयोग करें । हम सभी को प्रदेश की जनता ने इस विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां चुनकर भेजा है कि हम उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए मिल-जुलकर पूरा प्रयास कर

सकें । मुझे विश्वास है कि हम सभी इस महत् कार्य के लिये हर प्रकार के मतभेद भुलाकर एकजुट होंगे ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2005-2006 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

फाल्गुन 04, शक सम्वत् 1926
तदनुसार,
दिनांक : 23 फरवरी, 2005